प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्यामलाल पुत्र श्री मेवाराम, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्यामलाल पुत्र श्री मेवाराम, जो हिम्मतपुर, थाना-जैतीपुर, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन गिरवी रखने की रंजिश को लेकर दिनांक 05/06.05.1984 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तलवार] गड़ासा भाला व कांता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-469/1984] में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, शाहजहॉपुर के दण्डादेश आदेश दिनांक 20.02.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 07 वर्ष, 03 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष, 07 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के सम्बन्ध में दी गयी आख्या पर विचार करते हुये दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बंदी श्यामलाल पुत्र श्री मेवाराम द्वारा कारावास की भोगी गयी सजा एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्यामलाल (बन्दी संख्या-27318) पुत्र श्री मेवाराम, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-137/2022/1027(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।

2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।